

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश



ऑनलाइन काउंसलिंग
शैक्षणिक सत्र 2023-24

(मध्यप्रदेश शासन के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी संस्थानों)

विषय सूची

| स.क्र. | विवरण | पृष्ठ क्र. |
|--------|---|------------|
| 1 | पाठ्यक्रमों की सूची (List of Courses) | 2 |
| 2 | पंजीयन (Registration) | 3 |
| 3 | दस्तावेजों का सत्यापन(Verification of Document) | 4 |
| 4 | प्राथमिकताक्रम का चयन(Choice Filling) | 5 |
| 5 | मेरिट(Merit) | 6 |
| 6 | आवंटन(Allotment) | 6 |
| 7 | अपग्रेडेशन एवं प्रवेश(Upgradation and Admission) | 6 |
| 8 | प्रवेश(Admission) | 7 |
| 9 | आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन(Internal Branch Sliding) | 8 |
| 10 | संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC) | 8 |
| 11 | प्रवेश निरस्तीकरण(Admission cancellation) | 9 |
| 12 | सारणी क्रमांक-1 | 10 |
| 13 | सारणी क्रमांक-2, सारणी क्रमांक-3, सारणी क्रमांक-4 एवं सारणी क्रमांक-5 | 11 |
| 14 | सामान्य निर्देश | 11 |
| 15 | अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियाँ | 12 |

पाठ्यक्रमों की सूची

| स.क्र. | पाठ्यक्रम का नाम |
|--------|--|
| 1 | इंजीनियरिंग डिप्लोमा (Engineering diploma) |
| 2 | डिप्लोमा पाठ्यक्रम (फिल्म टेक्नॉलाजी एण्ड टी.व्ही. प्रोडक्शन (सिनेमेटोग्राफी), मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट एवं ब्यूटी कल्चर एण्ड कॉस्मेटोलाजी) |
| 3 | डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत) |
| 4 | लेटरल एण्ट्री (डिप्लोमा) (तृतीय सेमेस्टर) (LT ITI to diploma)(3rd Semester) |
| 5 | बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (B.Tech.) |
| 6 | बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.) |
| 7 | बी./डी. फार्मसी (B.Pharmacy/D.Pharmacy) |
| 8 | बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी (BHMCT) |
| 9 | बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Design) |
| 10 | लेटरल एण्ट्री (बी.ई./बी.फार्मसी) (तृतीय सेमेस्टर) (LT BE/B.Pharmacy 3rd Semester) |
| 11 | एम.सी.ए. (MCA) |
| 12 | एम.बी.ए. (MBA) |
| 13 | एम.टेक.-एम.ई. (MTech.) |
| 14 | एम.फार्मसी (MPharma.) |
| 15 | एम.आर्किटेक्चर (M. Arch.) |
| 16 | फार्म-डी (Pharm-D) |
| 17 | एकीकृत एम.बी.ए (IIMBA) |
| 18 | एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA) |
| 19 | फार्म-डी (पी.बी.) {(Pharm-D) PB} |

ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** (NRI, IPS, PIO/FN/CIWGC एवं CLC को छोड़कर) रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा आधार पर उपलब्ध होगी।
3. प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को, पंजीयन, प्रवेश परीक्षा में आवंटित रोल नंबर/पंजीयन क्रमांक से करना होगा। रोल नंबर/पंजीयन क्रमांक नंबर से पंजीयन करने पर प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा यथा, उम्मीदवार का नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, इत्यादि पंजीयन स्क्रीन पर स्वतः ही दर्शित होने लगेगा, शेष चाही गई जानकारीयों उम्मीदवार को स्वयं ही दर्ज करनी होगी, दर्ज की गई जानकारी दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान त्रुटिपूर्ण पाई जाने पर उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जावेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये अर्हकारी परीक्षा के रोल नंबर के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश/सी.बी.एस.ई के परीक्षा परिणाम का सत्यापन एवं म.प्र. लोकसेवा अभिकरण (**M.P. e-district**) के आवेदन क्रमांक से श्रेणी (**SC/ST/OBC**)/मूलनिवासी प्रमाण-पत्रों का ऑनलाईन ई-सत्यापन (**Online e-verification**) किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई-वेरिफाइड हो जाती है, तो उन्हें पंजीयन सह-ई-वेरिफिकेशन की पर्ची प्राप्त होगी। **उम्मीदवार बैंक केन्डीडेट स्टेटस से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।**
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का ऑनलाईन ई-सत्यापन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः नहीं हुआ है उन्हें दी गई जानकारीयों के आधार पर पंजीयन पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी मूल आवश्यक दस्तावेज पंजीयन के समय अपलोड (**Upload**) करना होगा।
6. अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज **submit** करने के पूर्व **view** कर यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय है। दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जायेगा, जिसकी जवाबदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची में प्रतिशत/अंक के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, वे अपनी अंक सूची के साथ संबंधित **बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला का दस्तावेज मर्ज (merge)** करके अपलोड (**Upload**) करें। (अर्थात् अंक सूची एवं ग्रेड कन्वर्जन फार्मूले के दस्तावेज को मर्ज (**merge**) कर एक जेपीजी (**jpg**) फाईल बनाकर अपलोड करें।
8. ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु उनकी एक से अधिक अंक सूची हैं, तो वे संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांक/पूर्णांक के साथ परीक्षा परिणाम का भी स्पष्ट उल्लेख हो, को (**Upload**) करें, इसके अभाव में अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जायेगा, जिसकी जवाबदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
9. पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होते ही, दिये गये मोबाईल नम्बर पर एक **अस्थायी पासवर्ड** प्राप्त होगा जिसे प्राथमिकताक्रम चयन (**Choice Filling**) के समय **बदलकर सुरक्षित रखें** और किसी को भी ना बतायें।
10. काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स (**Quick Links**) में **Cancel Registration** करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

- ✓ **Registration** अथवा दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त यदि अभ्यर्थी अपनी प्रदत्त जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन के लिए काउंसलिंग पोर्टल पर उपलब्ध "**Cancel Registration**" लिंक पर जाकर अपना **Registration** निरस्त कर पुनः पूर्व में आवंटित रोल नंबर का उपयोग कर आवश्यक संशोधन उपरांत जानकारी **submit** कर सकते हैं, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के दस्तावेजों का ऑनलाईन पुनः सत्यापन होगा।

11. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरांत **Edit Registration** की सुविधा (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये)

- ✓ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, सत्यापित उम्मीदवारों के लिये **Edit Registration** की सुविधा भी समय-सारणी अनुसार केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। प्राथमिकताक्रम लॉक करने के उपरान्त **Edit Registration** की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- ✓ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, सत्यापित उम्मीदवारों को सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर **Edit Registration** की लिंक खुलवानी होगी।
- ✓ **Edit Registration** सुविधा का उपयोग करते हुये आवश्यक संशोधन के उपरांत जानकारी **Submit** करनी होगी अन्यथा उम्मीदवार काउंसलिंग के वर्तमान चरण से बाहर हो जायेगा।

12. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरांत सत्यापन में अपात्र उम्मीदवारों हेतु **Edit Registration** की सुविधा

- ✓ **Edit Registration** सुविधा का उपयोग करते हुये आवश्यक संशोधन के उपरांत जानकारी **Submit** करनी होगी यह सुविधा समय-सारणी अनुसार केवल एक बार उपलब्ध रहेगी, अपात्र उम्मीदवार काउंसलिंग के वर्तमान चरण से बाहर हो जायेगा।

दस्तावेजों का सत्यापन (**Document Verification**)

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को अपलोड (**Upload**) किये गये दस्तावेजों से मिलान कर, ऑनलाईन सत्यापन करने के उपरान्त "ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम चयन के लिये" पात्र या अपात्र (**Eligible or Not Eligible**) का निर्धारण किया जायेगा।
2. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में निर्धारित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं तो वह प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
3. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धारित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, एवं पात्रता में सुधार चाहते हैं तो वे, काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स (**Quick Links**) में उपलब्ध **Cancel Registration** लिंक से पूर्व में प्राप्त रोल नम्बर का उपयोग कर, आवश्यक सुधार करते हुए ऑनलाईन सत्यापन के लिये आवेदन **Submit** करें। तत्पश्चात् सत्यापन उपरांत पात्रता के आधार पर "प्राथमिकताक्रम का चयन" कर सकते हैं।

4. सत्यापन पश्चात, पात्र/अपात्र (**Eligible/Not Eligible**) होने की सूचना पंजीयन में दिये गये मोबाइल पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी साथ ही उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि इसकी पुष्टि "चैक कैंडिडेट स्टेटस" लिंक के माध्यम से स्वयं ही कर लें।
5. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धारित की गई पात्रता के पश्चात, यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग में इच्छित संस्थाओं/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताक्रम का चयन कर निर्धारित शुल्क जमा कर **Submit** नहीं करता है तो वह, आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
6. पंजीयन के समय भरी जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को संस्था का आवंटन होने पर, आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापन के दौरान अपात्र/विसंगति पाये जाने पर, अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)

1. पंजीयन सह-ई-सत्यापन की पर्ची प्राप्त अभ्यर्थी, पंजीयन उपरान्त प्राथमिकताक्रमों का चयन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राथमिकताक्रमों को **Submit** कर सकते हैं।
2. सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थी ही संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकेंगे।
3. अभ्यर्थी न्यूनतम **सारणी क्रमांक-1** अनुसार अथवा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकताक्रमानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (**Choice**) चयन करने की सलाह दी जाती है।
4. जिन पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट (**TFW**) योजना की सीटें उपलब्ध है उन पाठ्यक्रमों में योजना के लिये पात्र अभ्यर्थी सामान्य पूल की सीटों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क छूट (**TFW**) योजना की सीटों के लिये कॉमन रूप से प्राथमिकताक्रम का चयन (**Choice Filling**) कर **Submit** करने की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।

"मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जाती है अतः (TFW) योजना के लिए पात्र आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल (TFW) योजना की सीटों का चयन न करें, (TFW) योजना की सीटों के साथ सामान्य पूल की सीटों का भी चयन अवश्य करें।"

5. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान के पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते हैं।
6. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (**Choice Filling**) उपरांत **Submit** की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **सारणी क्रमांक-2** अनुसार (काउंसलिंग शुल्क+ आंशिक शिक्षण शुल्क + पोर्टल शुल्क) शुल्क देय होगी जो वापसी योग्य नहीं (**Non-Refundable**) होगी। शुल्क का भुगतान न किये जाने की स्थिति में प्राथमिकताक्रम के चयन (**Choice Filling**) को लॉक नहीं माना जायेगा।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, अथवा जिन्हें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें काउंसलिंग के

उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम** के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः करना होगी। इस हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **सारणी क्रमांक-3** अनुसार शुल्क देय होगी जो वापसी योग्य नहीं (**Non-Refundable**) है शुल्क का भुगतान न किये जाने की स्थिति में **प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice Filling)** को लॉक नहीं माना जायेगा।

- 8 अभ्यर्थियों को **submit** किये गये प्राथमिकताक्रम के चयन (**Choice Filling**) में परिवर्तन का एक अवसर समय-सारिणी के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क रुपये 100/- देय होगा। जो वापसी योग्य नहीं होगा।
- 9 अभ्यर्थी द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाईन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा। जिसे **अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें। प्रवेश न लेने की स्थिति में इसे जब्त कर लिया जायेगा।**
- 10 MP BPL and Class-IV: *म.प्र. शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पाल्य/म.प्र. राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के पाल्य जो प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा **सारणी क्रमांक-1** उपलब्ध पाठ्यक्रमों की मेरिट रैंक के आधार पर इस हेतु जारी की गई कट-ऑफ में हैं, केवल ऐसे अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार सुविधा का लाभ लेने हेतु पंजीयन तथा दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) कर लॉक कर सकेंगे। (कट-ऑफ की जानकारी के लिये वेबसाइट देखें)*

मेरिट (Merit)

1. प्राथमिकता क्रम के चयन की अंतिम तिथि के उपरांत संबंधित चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जायेगी।

आवंटन (Allotment)

1. प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित चरण में मेरिट अनुसार आवंटन जारी किया जायेगा।

अपग्रेडेशन (Upgradation)

1. बी.टेक. पाठ्यक्रम में आयोजित प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का अवसर प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जो अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाईन अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
2. अपग्रेडेशन में अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में से उसे आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम से उच्च वरीयता की प्राथमिकताक्रम के लिये आवंटन हेतु अवसर प्राप्त होगा।
3. संस्था/ब्रांच का आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन करने के इच्छुक है तो उन्हें अपग्रेडेशन हेतु **सारणी क्रमांक-4** अनुसार अतिरिक्त आंशिक शिक्षण शुल्क एवं पोर्टल शुल्क देय होगा। शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन को लॉक नहीं माना जायेगा।
4. अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को **अपग्रेडेशन होने पर पूर्व आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा** एवं अभ्यर्थी को नया आवंटन पत्र प्राप्त करना होगा। यदि अभ्यर्थी आवंटन से संतुष्ट है तब उन्हें आवंटन प्रिंट आउट में दर्शाई गई नई आवंटित संस्था में अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करना होगा। प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी इस चरण से बाहर हो जायेगा।

5. अपग्रेडेशन न होने पर अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्था का नवीन आवंटन पत्र प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई अंतिम तिथि तक आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
6. यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटन जारी होते समय सीट आवंटन नहीं हुआ है तो उन्हें स्वतः ही अपग्रेडेशन राउंड में सम्मिलित किया जाकर अपग्रेडेशन की कार्यवाही की जावेगी।
7. अभ्यर्थी जिन्हें संस्था प्राथमिकताक्रम चयन सूची में प्रथम च्वाइस प्राप्त हुई है तब उन्हें नैसर्गिक रूप से अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेड संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा। **जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें। प्रवेश ना लेने की स्थिति में इसे जप्त कर लिया जायेगा।**

प्रवेश (Admission)

1. अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर समस्त जानकारियों का सत्यापन निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा, सत्यापन के उपरांत संस्था में निर्धारित शैक्षणिक शुल्क जमा कराना होगा।
2. दस्तावेजों के सत्यापन के समय ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र लाना होगा।
3. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा। सही पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी, अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थियों को **(Not Eligible)** की पर्ची प्राप्त होगी जिसमें सत्यापित नहीं होने के कारण का उल्लेख भी रहेगा। पर्ची की जांच कर लें कुछ त्रुटि पाये जाने पर सत्यापन करने वाले अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
4. **अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थी के पासवर्ड से लॉक होकर पूर्ण माना जायेगा**, अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची जारी की जावेगी। अभ्यर्थी, पर्ची को सुक्षमता से जांच लें, त्रुटि पाये जाने पर संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
5. प्रवेश पर्ची प्राप्त कर स्वहस्ताक्षरित एवं संस्था प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्राप्त कर सुरक्षित रखना होगा।
6. अपात्र अभ्यर्थी **(Not Eligible candidate)** रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर, दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
7. उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना है।
8. अनुपस्थित/अपात्र **(Not Eligible)** अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा ऐसे रिक्त स्थान को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
9. प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर **"चेक कैंडिडेट स्टेटस"** (Check Candidate Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते हैं।
10. अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट www.afrcmp.org देखें)

11. यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, तो अभ्यर्थी स्वयं ही प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Sliding)

1. बी.टेक. पाठ्यक्रम में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के पश्चात् एवं संस्था स्तर की काउंसलिंग प्रारंभ किये जाने के पूर्व संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों को, संस्था में उपलब्ध सीटों पर ऑनलाइन प्राथमिकताक्रम प्रस्तुत कर आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन का विकल्प दिया जायेगा। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क रुपये 100/- देय होगा। ब्रांच परिवर्तन होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश परिवर्तित ब्रांच में स्वतः ही मान लिया जावेगा।

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

1. संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे, सीट रिक्त रहने की दशा में समय-सारणी में दर्शित अगली दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) आयोजित की जावेगी।
2. संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के पूर्व में संचालित किसी भी चरण में पंजीयन नहीं कराया है उन्हें पंजीयन के समय **सारणी क्रमांक-5** अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। **(Non-Refundable)**.
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के पूर्ववर्ती चरणों में पंजीयन कराने के उपरांत प्राथमिकताक्रम का चयन कर आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन्हें पंजीयन के समय **सारणी क्रमांक-5** अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। **(Non-Refundable)**.
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु **सारणी क्रमांक-4** अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। **(Non-Refundable)**.
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश उपरांत अपना प्रवेश निरस्त कराकर पुनः संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें **सारणी क्रमांक-4** अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। **(Non-Refundable)**.

3. संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के पूर्व यदि अभ्यर्थी पंजीयन में कुछ भी सुधार (Edit) करना चाहता है तो, पोर्टल पर उपलब्ध क्विक लिंक्स (Quick Links) में **Cance Registration** पर जाकर सुधार कर सकते हैं। इस हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 30/- देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।
4. संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश की कार्यवाही के समय अभ्यर्थी का Real Time Photo Capture किया जाना अनिवार्य होगा।
5. काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट पर पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच वार रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहेगी।
6. संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों पर संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) के लिये निर्धारित समय-सारणी में उपलब्ध प्रथम दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) उपरान्त सीट रिक्त रहने पर समय-सारणी में दर्शित अगली दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) आयोजित की जावेगी।
7. अभ्यर्थी द्वारा संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा। जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें। प्रवेश न लेने की स्थिति में इसे जब्त कर लिया जायेगा।

प्रवेश निरस्तीकरण (Admission cancellation)

1. किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित तिथि में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगी। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं।
2. काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।
3. यदि किसी प्रकरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
4. मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है तथापि एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशील रहेगा।
5. प्रवेश निरस्तीकरण करवाने पर शैक्षणिक शुल्क की राशि की वापसी एआईसीटीई द्वारा सत्र 2023-24 के लिये जारी किये गये शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार की जायेगी।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी तथा प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) जारी किया जावेगा।

विभिन्न सारणी (Table)

सारणी क्रमांक-1

| S.No. | Course | Entrance Test | NRI Seats | IPS Seats | Upgrade | TFW | EWS | Internal Sliding | BPL / Class-IV | Minimum Choice Filling | PIO/FN/ CIWGC |
|-------|---|----------------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 1 | Diploma Engineering | | Yes | Yes | | Yes | Yes | | Yes* | 10 | |
| 2 | Diploma in {Film Tech. & T.V. Prodction (Cinemetography)}, MOM and BCC | | | | | Yes | Yes | | | 01 | |
| 3 | Diploma Eaxlavya/Ambedker | | | | | | | | | 01 | |
| 4 | LT ITI to Diploma (3rd Semester) | | | | | | | | | 10 | |
| 5 | BE/B.Tech. | Jee Main | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | 10 | yes |
| 6 | B.Arch. | NATA | Yes | Yes | | | | | | 01 | |
| 7 | B/D Pharmacy | | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | 10 | |
| 8 | BHMCT | | Yes | Yes | | | Yes | | | 01 | |
| 9 | B.Design | | Yes | Yes | | | Yes | | | 01 | |
| 10 | Lateral Entry (BE/B.Pharmacy | | | | | | | | | 10 | |
| 11 | MCA | | Yes | | | Yes | Yes | | | 10 | |
| 12 | MBA | CMAT | Yes | | | Yes | Yes | | | 10 | |
| 13 | ME/M.Tech | GATE | | | | | Yes | | | 01 | |
| 14 | M.Pharmacy | GPATE | | | | | Yes | | | 01 | |
| 15 | M.Arch | Exam conected by COA | | | | | | | | 01 | |
| 16 | Pharm-D | | | | | | Yes | | | 01 | |
| 17 | IIMBA | | Yes | | | | Yes | | | 01 | |
| 18 | IIMCA | | Yes | | | | Yes | | | 01 | |
| 19 | Phar-D(PB) | | | | | | | | | 01 | |

* केवल शासकीय संस्थाओं के लिये।

| सारणी क्रमांक-2 | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| पाठ्यक्रम | काउंसलिंग शुल्क | आंशिक शिक्षण शुल्क | पोर्टल शुल्क | कुल |
| सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर) | रुपये 400/- | रुपये 1,000/- | रुपये 130/- | रुपये 1530/- |
| डिप्लोमा पाठ्यक्रम | रुपये 200/- | | रुपये 130/- | रुपये 330/- |
| डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत) | | | रुपये 130/- | रुपये 130/- |
| सारणी क्रमांक-3 | | | | |
| सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर) | | रुपये 1,000/- | रुपये 130/- | रुपये 1130/- |
| डिप्लोमा पाठ्यक्रम | | | रुपये 130/- | रुपये 130/- |
| सारणी क्रमांक-4 | | | | |
| सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर) | | रुपये 1,000/- | रुपये 30/- | रुपये 1030/- |
| डिप्लोमा पाठ्यक्रम | | | रुपये 30/- | रुपये 30/- |
| सारणी क्रमांक-5 | | | | |
| सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर) | रुपये 400/- | रुपये 1,000/- | रुपये 30/- | रुपये 1430/- |
| डिप्लोमा पाठ्यक्रम | रुपये 200/- | | रुपये 30/- | रुपये 230/- |
| डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत) | | | रुपये 30/- | रुपये 30/- |

सामान्य निर्देश

1. पंजीयन हेतु अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
2. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा भी किया जा सकता है।
4. **प्राथमिकताक्रम चयन (Choice Filling)** उपरांत submit करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार **प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)** कर सेव (Save) कर लें, तत्पश्चात् ही एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।

5. किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
6. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित हों।
7. विस्तृत समय-सारणी एवं अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि काउंसलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
8. संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियाँ

1. किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने हैं परंतु स्थानान्तरण एवं माईग्रेशन के मूल प्रमाण पत्र जमा करने होंगे यदि अभ्यर्थी अन्य मूल-दस्तावेज जमा किये जाते हैं तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो-प्रति ही जमा करनी हैं।
2. काउंसलिंग में पंजीयन (**Registration**) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (**AICTE**) / फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (**PCI**) / काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (**COA**) द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण काउंसलिंग वेबसाइट पर "चेक कैंडिडेट स्टेटस" (**Check Candidate Status**) लिंक से अवश्य सुनिश्चित करें।
5. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.afrcmp.org देखें।
6. संपर्क :- **0755-6720205, 2660441** ईमेल:-dte.helpcenter@mp.gov.in

सही / -
 अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
 आयुक्त, तकनीकी शिक्षा,
 मध्यप्रदेश